आवासीय विद्यालय योजना

राजस्थान के अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष पिछडा वर्ग, निष्क्रम्रणीय पशुपालकों , भिक्षावृत्ति एवं अन्य अवांछित वृत्तियों में लिप्त परिवारों के बालक/बालिकाओं के लिए के.एफ.डब्ल्यू, जर्मनी द्वारा प्रदत्त वृहद आर्थिक सहयोग से 10 आवासीय विद्यालय तथा 14 आवासीय विद्यालय राज्य सरकार के द्वारा खोले गये । उक्त वर्गों के ऐसे गरीब परिवार जिनकी वार्षिक आय सभी स्त्रोतों से 2.50 लाख रूपये से कम हो, के बालक/बालिका आवासीय विद्यालय में प्रवेश ले सकते है। इन आवासीय विद्यालयों का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन ''राजस्थान रेजीडेन्सियल ऐज्युकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी'' (राईस) द्वारा किया जा रहा है। संचालित आवासीय विद्यालयों का विवरण, पात्रताएं, देय सुविधाएं आदि का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.सं.	योजना का नाम	आवासीय विद्यालय योजना
1.	योजना का उददेश्य	के.एफ.डब्ल्यू, जर्मनी द्वारा प्रदत्त वृहद आर्थिक सहयोग व राज्य सरकार द्वारा निर्मित आवासीय विद्यालयों के सुन्दर, स्वच्छ एवं शिक्षानुकूल वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना।
2.	प्रारम्भ होने का वर्ष	(नीचे तालिका देखें)
3.	लाभान्वित वर्ग	राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, विशेष पिछडा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछडा वर्ग, निष्क्रमणीय, भिक्षावृति एवं अंवाछित वृत्तियों में लिप्त परिवारों के बालक/बालिकाओं के लिए।

क.स.	आवा.विद्यालय	संचालन आरम्भता वर्ष	वर्तमान स्तर	विद्यार्थी क्षमता	छात्र/छात्रा	संकाय
1	खोडन (बांसवाडा)	2002–03	6 से 12	560	छात्रा	विज्ञान, कला
2	भैंसवाडा (जालौर)	2002–03	6 से 12	560	छात्रा	विज्ञान, कला
3	हिंगी (कोटा)	2003–04	6 से 12	560	छात्रा	विज्ञान, कला
4	पावटा (नागौर)	2003–04	6 से 12	560	छात्रा	विज्ञान, कला
5	छाण (स. माधोपुर)	2003–04	6 से 12	560	छात्रा	विज्ञान, कला
6	आटूण (भीलवाडा)	2004–05	6 से 12	560	छात्रा	विज्ञान, कला
7	वजीरपुरा (टोंक)	1997–98	6 से 12	252	छात्रा	कला
8	मण्डोर (जोधपुर)	2003–04	6 से 12	560	छात्र	विज्ञान, वाणिज्य
9	केनपुरा (पाली)	2002–03	6 से 12	560	छात्र	विज्ञान, कला
10	खेडाआसपुर (डूंगरपुर)	2002–03	6 से 12	560	छात्र	विज्ञान, कला
11	बगडी (दौसा)	2005–06	6 से 12	560	छात्र	विज्ञान, वाणिज्य
12	अटरू (बारां)	1997–98	6 से 12	252	छात्र	विज्ञान
13	हरियाली (जालौर)	2005–06	6 से 12	440	छात्र	विज्ञान, कला
14	मण्डाना (कोटा)	2008–09	6 से 12	280	छात्र	कला
15	धनवाडा (झालावाड)	2011–12	6 से 12	440	छात्र	विज्ञान, कला
16	सागवाडा (डूंगरपुर)	2015–16	6 से 12	280	छात्र	कला
17	तेलीखेडा सुवाना (भीलवाडा)	2015–16	6 से 12	280	छात्रा	कला
18	यूसुफपुरा (टोंक)	2015–16	6 से 12	280	छात्रा	विज्ञान
19	चाण्डपुरा (जालौर)	2015–16	6 से 12	280	छात्र	विज्ञान
20	बालेटा (अलवर)	2016–17	6 से 12	280	छात्र	विज्ञान
21	देवलेन (करौली)	2016–17	6 से 12	280	छात्रा	विज्ञान
22	हिण्डोली (बूंदी)	2016–17	6 से 12	280	छात्रा	कला
23	मच्छीपुरा (सवाईमाधोपुर)	2018–19	6 से 12	280	छात्रा	विज्ञान
24	अमरपुर (दौसा)	2018–19	6 से 12	280	छात्रा	कला

<table>
<tr><td>4.</td><td>पात्रता</td><td>राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा एवं विशेष पिछडा वर्ग तथा आर्थिक पिछडा वर्ग के बी.पी.एल. परिवारों के बालक/बालिकाओं के प्रवेश उपरान्त शेष रिक्त स्थानों पर ऐसे परिवार जिनकी सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम हो, आवासीय विद्यालय में प्रवेश ले सकते है।
<u>प्रवेश हेतु आरक्षण का प्रतिशत</u>:–
<table>
<tr><th>क. स.</th><th>वर्ग</th><th>प्रवेश में आरक्षण का निर्धारित प्रतिशत</th></tr>
<tr><td>1</td><td>अनुसूचित जाति क्षेत्र में स्थापित विद्यालय हेतु</td><td>• 60% अनुसूचित जाति
• 15% अनुसूचित जनजाति
• 15% अन्य पिछडा वर्ग(विशेष पिछडा वर्ग सहित)
• 10% आर्थिक पिछडा वर्ग</td></tr>
<tr><td>2</td><td>अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में स्थापित विद्यालय हेतु</td><td>• 60% अनुसूचित जनजाति
• 15% अनुसूचित जाति
• 15% अन्य पिछडा वर्ग (विशेष पिछडा वर्ग सहित)
• 10% आर्थिक पिछडा वर्ग</td></tr>
<tr><td>3</td><td>विशेष पिछडा वर्ग क्षेत्र में स्थापित विद्यालय हेतु (देवनारायण आवासीय विद्यालय)</td><td>• 60% विशेष पिछडा वर्ग
• 10% अनुसूचित जाति
• 10% अनुसूचित जनजाति
• 10% अन्य पिछडा वर्ग
• 10% आर्थिक पिछडा वर्ग</td></tr>
<tr><td>4</td><td>' निष्क्रमणीय पशुपालकों के बच्चों हेतु आवासीय विद्यालय</td><td>• 100% निष्क्रमणीय पशुपालकों के बच्चों हेतु</td></tr>
<tr><td>5</td><td>'' भिक्षावृति एवं अंवाछित वृत्तियों में लिप्त परिवारों के बच्चों हेतु आवासीय विद्यालय</td><td>• 100% भिक्षावृति एवं अंवाछित वृत्तियों में लिप्त परिवारों के बच्चों हेतु</td></tr>
</table>
आवासीय विद्यालयों में उपरोक्त आरक्षित वर्गो में स्थानीय जिले के 50% तथा अन्य जिलों के लिए 50% स्थान आरक्षित हैं। विद्यालयों में पिछली कक्षा में अर्जित अंकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है।
प्रवेश हेतु प्रतिवर्ष राज्य स्तर के समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी की जाती है।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>देय सुविधाऐं</td><td>निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन, पोशाक, पाठयपुस्तकें, स्टेशनरी, चिकित्सा आदि हेतु राशि रूपये 2000 प्रति माह 10 माह हेतु कुल राशि रूपये 20,000/–रू. प्रति सत्र प्रतिविद्यार्थी</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>आवेदन</td><td>शैक्षणिक सत्र 2015–16 से आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रतिवर्ष ऑनलाईन आवेदन पत्र sjms.rajasthan.gov.in पोर्टल पर आमंत्रित किये जाते है। विद्यार्थियों कों प्रवेश हेतु प्रतिवर्ष ई–मित्र, कियोस्क, साईबर कैफे, निजी इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करना होगा आवेदन पत्र के साथ स्वप्रमाणित दस्तावेज स्कैन कर अपलोड किये जाते है तथा आवेदन पत्र पेपर लैस है।</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>सम्पर्क सूत्र</td><td>राजस्थान रेजिडेन्सियल एज्युकेशनल इन्सटीटयूशन्स सोसायटी अम्बेडकर भवन सिविल लाईन जयपुर व संबंधित आवासीय विद्यालय</td></tr>
</table>